



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 2059, वर्ष 2026

शनि @ शनिदेव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

—

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

:

जय प्रकाश

सिंह

विरोधी पक्षकार(रों) के अधिवक्ता

:

सरकारी

अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आज दायर किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो पुलिस थाना अंतू, जिला प्रतापगढ़ में धारा 103(1), 351(3), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता (धारा 302, 506, 120-B भारतीय दण्ड संहिता) के अंतर्गत दर्ज केस क्राइम संख्या 627/2024 में संलिप्त है—विचारण के समय जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।
4. दिनांक 03.12.2024 की प्राथमिकी में दिए गए विवरण के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि मृतक—जो शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का भाई था—का एक विवाह समारोह के समय आवेदक के साथ झगड़ा हो गया था। परिणामस्वरूप, नामजद सभी पाँचों आरोपियों ने, जो लाठी और डंडे से लैस थे, मृतक पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि जाँच के समय, सह-आरोपी दिनेश कुमार का नाम हटा दिया गया है और उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दाखिल नहीं किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि सभी आरोपियों के विरुद्ध मृतक पर लाठी और डंडे से हमला करने के संबंध में सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सह-आरोपियों, अर्थात् भोलानाथ वर्मा और अशोक @ अशोक कुमार वर्मा को, इस न्यायालय की एक समतुल्य पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 13.11.2025 और 15.10.2025 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6273 वर्ष 2025 और 3718 वर्ष 2025 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; तथा सह-आरोपी कुलदीप वर्मा को सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत आवेदन संख्या 4775 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की गई है। उक्त जमानत आदेशों की प्रतियाँ वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल की गई हैं। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भी 'समानता के सिद्धांत' के आधार पर जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है, विशेष रूप से सह-आरोपी अशोक @ अशोक कुमार वर्मा को दी गई जमानत के आलोक में; क्योंकि सह-आरोपी अशोक के विरुद्ध भी मृतक को मारने का ऐसा ही आरोप लगाया गया था, जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।

6. इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.12.2024 से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़ोरदार ढंग से जमानत अर्ज़ी का विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी-3 ने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि उसने आवेदक को मृतक अयोध्या का पीछा करते हुए देखा था।

8. इसके उत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रति-परीक्षण के समय, अभियोजन साक्षी-3 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने आवेदक को मृतक का पीछा करते हुए नहीं देखा था, और उसे मृतक अयोध्या की मृत्यु के बारे में केवल ग्रामीणों से ही पता चला था।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, आरोपों की प्रकृति, और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जिन सह-आरोपियों को समान भूमिका सौंपी गई थी, उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक पर लगाया गया आरोप उन सह-आरोपियों के समान है जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। तदनुसार, आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

10. तदनुसार, यह जमानत अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

11. आवेदक **शनि @ शनिदेव** को उपर्युक्त केस क्राइम संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी अनुबंध और उतनी ही राशि के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के समय साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख को, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) आवेदक, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

12. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

13. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर मुक्त करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

25 मार्च, 2026

दिव्य

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।